ने गाली-गलौज करते पर हमला कर दिया और ार चाकू निकाल लिए।

ान बचाने को दौड़ाई थार

बदमाशों के हाथ में चाकू देखकर अदनान ने सूझबूझ दिखाई और जान बचाने के लिए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। इस दौरान एक बदमाश उसकी थार के बोनट पर ही बैठ गया। बाकी के 8-10 आरोपी पैदल और अपने वाहनों से करीब 1 किलोमीटर तक थार का पीछा करते रहे। आखिरकार, संभावना ट्रस्ट के पास अदनान ने अचानक गाड़ी रोकी, जिससे बोनट पर बैठा बदमाश नीचे गिर गया और अदनान वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा। इसके बाद उसने परिजनों के साथ हनुमानगंज थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। हनुमानगंज थाना पुलिस ने फरियादी अदनान की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ अड़ीबाजी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं

समय से शहर में लगातार हिंसक वारदातों को अंजाम देकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। अदनान को निशाना बनाने से ठीक पहले इस गैंग ने एक स्विफ्ट कार में तोडफ़ोड़ की थी। इसके अलावा, बीते 13 मई को खानू गांव के झंडा चौक पर इस गिरोह के समीर बब्बा और अब्दुल्लाह फारूकी ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ खान (27) पर भी पैसों की मांग को लेकर जानलेवा हमला किया था, जिसमें आरोपी अब तक फरार हैं

क साथ रहता था। ... समय से उच्च रक्तचाप तथा पेट दर्द की शिकायत रहती थी। रविवार देर रात पेट दर्द होने पर वंदना ने अपनी नियमित दवा ली। इसी दौरान उसने गलती से अपनी मां की शुगर की दवा भी खा ली। कुछ समय बाद उसकी तबीयत अचानक बिगडने लगी। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे तत्काल एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। इलाज के दौरान सोमवार तड ? वंदना की मौत हो गई।

ा होगा फ्लैग ऑफ

गे 'सेफ क्लिक होगा शुभारंभ

भियान का उद्देश्य आमजन, द्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं था वरिष्ठ नागरिकों को साइबर गी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल सुरक्षा से संबंधित षयों के प्रति जागरूक करना है, ाकि नागरिक सुरक्षित साइबर यवहार अपनाकर स्वयं एवं माज को साइबर अपराधों से रक्षित रख सकें। कार्यक्रम के ौरान साइबर सुरक्षा एवं बाल ंरक्षण के क्षेत्र में सहयोग को दृढ़ करने के लिए इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ एक हत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

ई थी वायरल

टीवी और रजिस्ट्रेशन से दबोचा गया आरोपी

रल होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष न किया गया। पुलिस टीम ने के आसपास के सीसीटीवी फुटेज वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार की तलाश शुरू की। सटीक इनपुट के लिस मिसरोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत के पीछे, श्रीराम कॉलोनी स्थित 258 के पास पहुंची, जहाँ वह कार ई। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी (उम्र 24 वर्ष), पिता बबलू चंदेल को लिया। पूछताछ में आरोपी ने अटल पथ टट करने की बात कबूल कर ली है। ट में इस्तेमाल की गई कार को कर लिया है।

बैंक ऑफ़ इंडिया

आंचलिक कार्यालय:
भोपाल अंचल बैंक ऑफ इंडिया भवन,
जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल
फोन : 0755-2556770, 2555169
E-mail: bhopal.assetrecovery@bankofindia.bank.in

परिशिष्ट - IV क [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

आम जनता को साधारणतः एवं निम्न वर्णित अचल संपत्तियों के ऋणियों एवं जमानतदारों को विशेषतः सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित संपत्तियाँ **बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित लेनदार)** के पास बंधक है तथा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित संपत्तियों का उसके **सांकेतिक कब्जा** ले लिया गया है। निम्नवर्णित संपत्तियों का विक्रय दिनांक **09.07.2026** को **बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित लेनदार)** के बकाया राशि को वसूल करने हेतु "जैसा है जहां है, जो है जैसा है" एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर किया जा रहा है। आरक्षित मूल्य एवं धरोहर राशि का विवरण निम्नानुसार है। नीलामी अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफार्म के वेबपोर्टल **http://BAANKNET.com** पर संपन्न होगी।

ऋणी /जमानतदार का नाम मांग नोटिस राशि	बंधक रखी संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति के बंधककर्ता का नाम	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बिड वृद्धि राशि
गुलमोहर शाखा भोपाल, फोन : 8305819840 Account to deposit auction sale proceeds- 900990200000033, IFSC- BKID0009009		
ऋणी: **श्रीमती रंजना प्रदीप शर्मा एवं श्री प्रदीप शर्मा** मांग सूचना राशि: ₹ 2,08,944/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे मांग सूचना दिनांक : 29.08.2025 कब्जा दिनांक : 03.11.2025 (सांकेतिक)	आवासीय ईडब्ल्यूएस फ्लैट संख्या 30/303, तृतीय तल स्थित गौरव नगर, वार्ड संख्या 81, ग्राम - बैरागढ़ चिचली, कोलार रोड, हुजूर (नया कोलार), भोपाल, (मध्य प्रदेश) क्षेत्रफल- 32.74 वर्गमीटर संपत्ति मालिक- श्रीमती रंजना प्रदीप शर्मा, श्री प्रदीप शर्मा चर्तुसीमाएँ: पूर्व-फ्लैट संख्या 30/304, पश्चिम-रिटेनिंग वॉल, उत्तर-ब्लॉक संख्या 31/302, दक्षिण - ब्लॉक संख्या 30/302	₹ 6,56,000/- ₹ 65,600/- ₹ 10,000/-
अवधपुरी शाखा, भोपाल, फोन : 9981590545 Account to deposit auction sale proceeds- 903390200000033, IFSC- BKID0009033		
ऋणी- **श्रीमती कविता ठाकुर पत्नी श्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर** सहऋणी: **श्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह ठाकुर** मांग सूचना राशि: ₹ 7,16,397/- +देय ब्याज एवं खर्चे मांग सूचना दिनांक: 17.09.2025 कब्जा दिनांक: 09.12.2025 (सांकेतिक)	फ्लैट नंबर बी-404 ब्लॉक तीसरी मंजिल, प्रीमियर ऑर्चर्ड, ग्राम रासलाखेड़ी, वार्ड नंबर 76, तहसील हुजूर, भोपाल (म.प्र.) क्षेत्रफल 308.27 वर्ग फुट या 28.65 वर्गमीटर संपत्ति मालिक- श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह ठाकुर चर्तुसीमाएँ:- पूर्व में कॉरीडोर, पश्चिम में-खुला, उत्तर में-फ्लैट नंबर बी-405, दक्षिण में -फ्लैट नंबर बी-403,	₹ 7,80,000/- ₹ 78,000/- ₹ 10,000/-

ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : दिनांक 09.07.2026, को सुबह 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

ई-नीलामी की शर्ते :-

(1) ई-नीलामी /बिडिंग "ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बिडिंग" के माध्यम से "जैसा है जहां है, जो है जैसा है" एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर वेबसाइट http://BAANKNET.com पर की जावेगी। इच्छुक निविदाकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व वेबसाइट में नियम एवं शर्तों की जानकारी प्राप्त करें।
(2) संपत्ति का निरीक्षण दिनांक **08.07.2026** को या उससे पहले सुबह 10 से सायं 5 बजे तक संबंधित शाखा प्रबंधक की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है।
(3) बिक्री की पुष्टि होने होने पर सफल खरीदार को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत (जिसमे ईएमडी के लिए पहले भुगतान की गई रकम शामिल हैं) तुरंत जमा करानी होगी एवं शेष 75 प्रतिशत राशि 15 दिन के अंदर ऊपर दिये गए शाखा के अकाउंट नंबर मे जमा करना होगा। निर्धारित समय सीमा मे राशि जमा न करने की स्थिति मे बोलिकर्ता द्वारा जमा राशि बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जायगी।
(4) बोली निर्धारित आरक्षित मूल्य से अधिक कीमत पर शुरू होगी।
(5) यदि संपत्ति की विक्रय राशि रु. 50 लाख (रुपये पचास लाख) या उससे ऊपर हो उस परिस्थिति में नीलामी खरीददार को विक्रय राशि का 1% टी.डी.एस. का भुगतान करना होगा तथा टीडीएस सर्टिफिकेट की मूल प्रति बैंक में जमा करनी होगी।
(6) सफल खरीददार को संपत्ति पर भुगतान की जाने वाली सांविधिक देयताएं/ असांविधिक देयताएं/ स्टाम्प ड्युटी / अतिरिक्त स्टाम्प ड्युटी/ ट्रांसफर शुल्क / सभी शुल्क / असेसमेंट चार्जेस / अन्य प्रभार जिसमें पंजीयन शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, कर, लागू टीडीएस इत्यादि व्ययों का भुगतान करना होगा।
(7) प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी या सभी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने / निरस्त अथवा ई-नीलामी की नियम एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
(8) अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त वर्णित दूरभाष क्र. पर संबंधित शाखा प्रबंधक से संपर्क करें: अथवा अंचल कार्यालय, भोपाल फोन : 0755-2556770 / 2555169 से संपर्क करें।

नोट - यह नोटिस प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के अन्तर्गत ई-नीलामी आयोजित करने हेतु उक्त ऋणी / उधारकर्ता / जमानतदारों को 15 दिवसीय विक्रय सूचना भी है।

स्थान : भोपाल, दिनांक : 23.06.2026 — प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया